[illegible handwritten line]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	[illegible] ... 1…/…/24
17.12.25	[illegible] पत्रावली पेश [illegible] वकलाय पक्षकारान [illegible] पीठासीन अधिकारी [illegible] दौरे/अन्य [illegible] में व्यस्त [illegible] है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.12.25 को पेश हो। [signature]
19.12.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई वांछित जाँच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1929/भू.अ./2025 दिनांक 26.06.2025 के द्वारा प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील प्रार्थी ने बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 24.12.2025 को पेश हो। [signature] (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)
24.12.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/159 रकबा 0.0375 हैक्टर गै0 मु0 चाह, 918/160 रकबा 0.0500 हैक्टर, 920/161 रकबा [illegible] हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर भू.अ.निरीक्षक [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित होकर खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व [illegible] होकर प्रार्थी अपनी भूमि पर मौके पर पूर्णतः काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि का सीमाज्ञान प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.10.2024 को पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा विधिवत तरीके से करवाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

महादेव बनाम [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

ग्रा॰ पत्थरगढ़ी मु॰नं॰ — 120/2024

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

अप्रार्थी संख्या 2 प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल, तारबन्दी व सीमाचिन्ह को नष्ट कर अतिक्रमण करने पर उतारू रहते है। प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से भी जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिस कारण सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन अपनी रिपोर्ट में किया है।

वही दौराने बहस वकील अप्रार्थी संख्या 2 ने अवगत कराया कि प्रार्थी ने गलत रूप से बाला बाला एक पक्षीय करवाई गई सीमाज्ञान दिनांकित 23.10.2024 के आधार पर प्रार्थना पत्र पत्थरगढी का न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमियों की कोई सींव डोल नष्ट नहीं की है एंव ना ही कोई अतिक्रमण ही किया है। प्रार्थी स्वंय अतिक्रमी है। जिसने अप्रार्थीगण के हक हिस्से व बंटवारा में आई भूमि व उसमें दिवार डण्डा पर जबरन हक जताने हेतु उक्त पत्थरगढ़ी का आवेदन पेश किया गया है। प्रार्थी मौके पर खसरा नम्बर 917/160 के पूर्वी तरफ बने डण्डे को पत्थरगढ़ी की आड़ में तुड़वाना चाहता है। अप्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 915/159 रकबा 0.0125 हैक्टर, 917/160 रकबा 0.1000 हैक्टर, 919/161 रकबा 0.1100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर का वास्तविक नापकर अप्रार्थी की भूमि पूर्ण करते हुए प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कर दी जाती है तो अप्रार्थी को कोई आपत्ति या एतराज नहीं होने बाबत अपनी बहस में अवगत कराया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस ध्यानपूर्वक सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली पर [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, नक्शा ट्रेस की फोटो[illegible] सीमाज्ञान दिनांकित 23.10.2024 की फोटोप्रति, [illegible] रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर एंव प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से [illegible] प्रतीत होता है कि ग्राम पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/159 रकबा 0.0375 हैक्टर गै० मु० चाह, 918/160 रकबा 0.0500 हैक्टर, 920/161 रकबा 0.0800

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी के नाम तथा भूमि खसरा नम्बर 915/159 रकबा 0.0125 हैक्टर, 917/160 रकबा 0.1000 हैक्टर, 919/161 रकबा 0.1100 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर की खातेदारी अप्राथी संख्या 2 के नाम दर्ज रिकार्डेड होना प्रकट होता है। प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश से सम्बन्धित पटवारी हल्का पीथलपुर के द्वारा दिनांक 23.10.2024 को किया जाना स्पष्टतः प्रकट होता है। अप्रार्थी संख्या 2 वादग्रस्त भूमि के सीवंजोड पड़ौसी खातेदार काश्तकार है। जिनमें अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने मुख्य विवाद भूमि खसरा नम्बर 915/159 रकबा 0.0125 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर को लेकर होना अवगत करवाते हुए उसका भी सीमाज्ञान करवाये जाने का निवेदन किया।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी में दर्ज भूमियों का सीमाज्ञान करवा लिये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, वहीं अप्रार्थी संख्या 2 अपनी भूमियों का विधिवत सीमाज्ञान करवाने एंव सीमाज्ञान के उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करवाये जाने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर विधिवत रूप से करवाये गये सीमाज्ञान के अनुसार प्रकरण में पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायहित में उचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा दिनांक 23.10.2024 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 916/159 रकबा 0.0375 हैक्टर गै0 मु0 चाह, 918/160 रकबा 0.0500 हैक्टर, 920/161 रकबा 0.0800 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम पीथलपुर भू.अ.

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
प्र० प० पत्थरगढ़ी मु०नं० - /20/2024	

निरीक्षक रायपुर जागीर, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर को पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा दिनांक 23.10.2024 को करवाये गए सीमाज्ञान के अनुसार अप्रार्थी को विधिवत सूचित करते हुए उनकी उपस्थिति में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 916/159 रकबा 0.0375 हैक्टर गै0 मु0 चाह, 918/160 रकबा 0.0500 हैक्टर, 920/161 रकबा 0.0800 हैक्टर की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान दिनांक 23.10.2024 के अनुसार बिना सींव डोल हिलाये किया जावें, वहीं चूंकि मुख्य विवाद अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 915/159 को लेकर है। अतः अप्रार्थी को भी उसके खेत खसरा नम्बर 915/159 का विधिवत सीमाज्ञान भी साथ ही कराया जावें। कब्जा हटाने/दिलाने की कोई कार्यवाही इस आदेश के तहत नहीं की जावें। प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2026.01.16 13:27:36 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)